



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 75 राँची, बुधवार, 6 फाल्गुन, 1947 (श०)
25 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

18 फ़रवरी, 2026

आदेश सं0-5/आरोप-1-16/2023 कां०- 963--श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-458, दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-176, दिनांक 26.12.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्री महतो के विरुद्ध अवैध तरीके से नामांतरण करने, नामांतरण वाद को पहले अस्वीकृत करने एवं बाद में उसे स्वीकृत करने, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन, नामांतरण अधिनियम / नियम का उल्लंघन करने, अपर न्यायालय / उच्चाधिकारी के निदेश का अनुपालन ससमय नहीं करने, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छारिता संबंधी कुल-18 आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं0-22404 (HRMS), दिनांक 18.07.2023 द्वारा श्री महतो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा अधिसूचना सं0-24891 (HRMS), दिनांक 07.11.2023 द्वारा इनको निलंबित किया गया।

3. निलंबन से मुक्त करने संबंधी श्री महतो से प्राप्त अभ्यावेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-26458 (HRMS), दिनांक 26.07.2024 द्वारा दिनांक 23.07.2024 के प्रभाव से इनको निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-31763(HRMS), दिनांक 08.07.2025 द्वारा श्री महतो को आरोप मुक्त किया गया है ।

4. श्री महतो के पत्रांक-972, दिनांक 09.07.2025 द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 22.07.2024 तक के सेवा विनियमन हेतु अनुरोध किया गया है ।

5. श्री महतो से प्राप्त आवेदन एवं मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिन आरोपों के लिए श्री महतो को निलंबित किया गया था, उन आरोपों में विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के निलंबन अवधि दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 22.07.2024 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव ।
